

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@yahoo.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक 4683 /13- क्वारब दिनांक 16-1- 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0विभाग

काठगोदाम (नैनीताल)।

विषय:- जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत क्वारब-मौना-सरगाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8925 है0वन भूमि का भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून का पत्रांक 2364 / FP/ UK /Road/14474 /2015 दिनांक 9-01-2018. भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू0.सी.पी. /06/291/2015/एफ0सी0/1611 दिनांक 28-12-2017.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0.सी.पी. /06/291/2015/एफ.सी./1611 दिनांक 28-12-2017. द्वारा कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई हैं। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 595/3-5-2 दिनांक 19-08-2015 के क्रम में निर्धारित दरों पर 5970 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु धनराशि एवं एनपी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

1-शर्त न0 1 के अनुसार 5970 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10वर्षों के रख रखाव हेतु धनराशि का विवरण-

1000/प्रति वृक्ष की दर से -

5970 वृक्षों के वृक्षारोपण - $5970 \times 1000 = 59,70,000.00$

(रु0 उनसठ लाख सत्तर हजार) मात्र

2-शर्त न0 2 एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है-

ईको क्लास -

V^{th}

हरियाली का धनत्व -

0.4

एन0पी0वी0 की दर प्रति है0-

8,45,000.00

आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-

0.8925 है

एन0पी0वी0 की धनराशि -

$0.8925 \times 8,45,000.00 = \text{रु0 } 7,54,162.50$

या रु0 7,54,163.00 (रु सात लाख चब्वन हजार एक सौ तिरैसठ) मात्र

उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 2 में उल्लेख किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclclearance.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stage II clearance में पहले mututation की detail भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी है तथा हार्ड कापी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रोंक / उक्तदिनोंकित ।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रोंक / उक्तदिनोंकित ।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को भारत सरकार की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी उत्तरी गौला को भारत सरकार की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।